न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/116/2019	15–10–2019	16–02–2021

01–तेजपाल पुत्र बलबीर सिंह
02–श्रीपाल पुत्र बलवीर सिंह
03–मोहरपाल पुत्र बलवीर सिंह
04–महीपाल पुत्र बलवीर सिंह
05–रामकृपाल पुत्र नारायण लाल
06–रामलाल पुत्र नारायण जातियान अहीर निवासीयान ग्राम बाढकेसरपुर तहसील व जिला अलवर। अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,अलवर रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 15.11.16 नामान्तकरण संख्या 132 ग्राम बाढकेसरपुर जिला अलवर।

उपस्थित :–
01. श्री गोविन्द राम यादव –वकील अपीलाण्ट
02. श्री दीपक मीणा –राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 15–11–16 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 132 वाके ग्राम बाढकेसरपुर का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुऐ निवेदन किया कि विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 0.30 है0, 13 रकबा 0.78 है0, 14 रकबा 0.35 है0, 16 रकबा 0.25 है0, 31 रकवा 1.87 है0, 34 रकबा 0.41 है0, 37 रकबा 0.67 है0, 38 रकबा 0.03 है0, 43 रकबा 0.44 है0, 43/201 रकबा 0.33 है0, 44 रकबा 0.20 है0, 46 रकबा 0.80 है0 कुल किता 12 रकबा 6.43 है0 जो कि शामलात खातेदारी की आराजी है। जिसमें अपीलान्ट सं0 1 ला0 4 का 1/3 हिस्सा, अपीलान्ट संख्या 5 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलान्ट संख्या 6 का 1/3 हिस्सा था। उक्त आराजी का शामलात की खातेदारी का बंटवारा कर लिया सहमति के आधार पर विवादित इंतकाल तस्दीक हुआ जिसका अमल भी जमाबन्दी सम्वत् 2072 में हो गया। अपीलान्ट सं0 1ला0 4 ने अपनी आराजी का भू–सपरिवर्तन कराने हेतु नगर विकास न्यास में आवेदन किया तो अपीलान्ट को बताया गया कि विवादित इंतकाल की फर्द नंबर

जिला कलक्टर, अलवर

0689119 के कॉलम नंबर 9 के अंत में कोष्ठक में महत्वहीन इन्द्राज कोष्ठक (खसरा नंबर 16, 31, 34, 43, 43/201, 44, 46, 12, 13) में है। इससे बंटवारे के नंबरों को दुबारा रीपीट किया गया है। जिससे बंटवारा स्पष्ट नहीं है। बंटवारे में सभी नम्बरों का बंटवारा अलग–अलग होकर उनका अंकन अलग–2 हो गया किन्तु सहबन से फर्द नंबी 0689119 के कॉलम के अंत में कोष्ठक में खसरा नबंर 16, 31, 34, 43, 43/201, 44, 46, 12 व 13 का अंकन कर दिया जावे जो महत्वहीन है और निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट को विवादित इंतकाल की जानकारी दिनांक 24.10.17 को जब नगर सुधार न्यास अलवर से भूमि सपरिवर्तन कराते वक्त हुई। दिनांक 15.11.16 से दिनांक 24.10.17 तक का समय जानकारी के अभाव में कण्डोन किया जावें। जिस पर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि विवादित इंतकाल तहत अदालत द्वारा दिनांक 15.11.16 को दर्ज व स्वीकार किया गया है जो शामलात की खातेदारी का बंटवारा कर सहमति के आधार पर तस्दीक हुआ। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया एवं कानून की मंशा देखी गई। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 15.11.16 के विरूद्ध दिनांक 30.10.17 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 11 माह विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न हैं पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तहत अदालत ने विवादित इंतकाल मुताबिक विभाजन के आधार पर दर्ज व स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा अपने कथन में आपसी बंटवारा होना जाहिर किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टी में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे यह प्रतीत नहीं होता है कि किसी अपीलान्ट्स के आराजी का कौनसा हिस्सा आया। तहत अदालत द्वारा अपीलीय आदेश विधिक प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है। उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 15–11–2016 बाबत नामान्तरण संख्या–132 ग्राम बाढकेसरपुर तहसील अलवर यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16–02–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलेक्टर, अलवर